



भारतीय
प्रौद्योगिकी
संस्थान
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय



INDIAN
INSTITUTE OF
TECHNOLOGY
BANARAS HINDU UNIVERSITY

पुर्नस्थापन (रिलोकेशन) देय का विपत्र (बिल)

कर्मचारी संख्या	कार्यालय प्रयोग हेतु
नाम	प्रमुख बजट मद.....
पदनाम	गौण बजट मद
इकाई/विद्यालय/अनुभाग	स्वीकृत धनराशि
वेतनमान/वेतनमान में वेतन/एजीपी/जीपी	खर्च धनराशि.....
संस्थान में नियुक्ति की तिथि	बिल के साथ उपलब्ध शेष धनराशि.....
पत्र संख्या एवं नियुक्ति पत्र का दिनांक.....	

यात्रा का विवरण

प्रस्थान			आगमन			यात्रा का प्रकार (रेल/वायु/सड़क)	श्रेणी	दूरी कि.मी. में	भाड़ा रू में	उड़ान और रेल का विवरण	टिप्पणी
स्टेशन	दिनांक	समय	स्टेशन	दिनांक	समय						
								योग			

- कुल भाड़ा रू0 में.....
 - व्यक्तिगत तौर पर परिवहन मद में व्यय (रूपयं में).....
 - व्यक्तिगत तौर पर वजन(भार- किलोग्राम में)
 - दुलाई : से..... तक.....
 - अपने वाहन से परिवहन मद पर व्यय रूपये में.....
(वाहन के प्रकार : मोटर सड़किल/ मोटर कार)
 - समग्र (कम्पोजिट) स्थानान्तरण अनुदान (रूपये में).....
(एक माह का वेतन जिसमें पें इन पे बैण्ड+ग्रेड पे + गैर पेशा भत्ता शामिल हैं, यदि कर्मचारी द्वारा पूर्व धारित पद पर स्वीकार्य हो, पुनर्स्थापन देयों के साथ दावा किया जाये।)
(उपर्युक्त 1,2 और 3 हेतु मूल दस्तावेज संलग्न करें)
- कुल दावा (1+2+3+4)= रू. में.....**
(शब्दों में).....)

भुगतान प्राप्त किया

1 रू0मुल्य का राजस्व स्टाम्प संलग्न करें अगर धनराशि 5000 रू0 से उपर हो।

पारिवारिक सदस्यों का विवरण

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि	उम्र	सम्बन्ध
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

यात्रा भत्ता बिलों को तैयार करने के लिए अनुदेश

1. विभिन्न प्रकार की यात्रा और विश्राम (हाल्ट) एक ही पंक्ति में दर्ज नहीं किया जाना चाहिए।
2. विपत्र (बिल) ठीक से तैयार किया जाये और व्यक्तिगत तौर पर यात्रा, स्थानांतरण (शिपिंग) के पूरा होने के 30 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
3. धन प्राप्तियाँ और टिकट संख्या विपत्र (बिल) के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि:

- (1) मैंने वास्तव में उस श्रेणी में यात्रा की, जिसका मैं हकदार हूँ।
- (2) मैंने यात्रा निःशुल्क या बिना भुगतान के पूरी नहीं की।
- (3) कोई सरकारी वाहन व्यक्तिगत तौर पर एवं निजी साधन (वाहन) के परिवहन के लिए प्रदान नहीं किया गया एवं दावा की गई धनराशि वास्तव में मेरे द्वारा भुगतान किया गया है।
- (4) सभी परिवार के सदस्य जिनका किराया इत्यादि दावा किया जा रहा है, मेरे साथ रहते हैं और पूर्णतः मुझपर आश्रित हैं और सभी स्रोतों से व्यक्तिगत आय पेंशन सहित, दावा के लिए निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है।

(जो लागू न हों उसे काट दें)

दिनांक:

हस्ताक्षर :.....

विभाग के प्रमुख / / इकाई प्रभारी द्वारा अग्रसारित।

अग्रसारित (विभागाध्यक्ष / इकाई के प्रभारी)

पारित रूपये.....

(शब्दों में रूपये).....

कार्य सहायक

अनुभाग अधिकारी

सहायक कुलसचिव

उप कुलसचिव

कुलसचिव

नकद भुगतान/चेक सं०..... दिनांक.....

सहायक / खजौंची

अनुभाग अधिकारी

सहायक कुलसचिव

उप कुलसचिव

कुलसचिव